**Annexure-3.1**

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA
पर्यावरण एवं वन मंत्रालय
MINISTRY OF ENVIRONMENT & FORESTS

क्षेत्रीय कार्यालय, पश्चिम क्षेत्र
Regional Office, Western Region
E-3/240, अरेरा कालोनी Arera Colony
भोपाल Bhopal-462016 (म. प्र.) M. P.
तार/Telegram : CENTFOREST
दूरभाष/Phone : 466525, 463102
465496, 465054
Tele Fax : 0755-463102

क्रमांक : 8बी/16/2002-एफसीडब्ल्यू/ 678 Dt. 14-3-2002,

प्रति,

प्रधान सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन,
वन विभाग,
डी0के0 भवन,
रायपुर ।

विषय: दंतेवाड़ा जिले में राष्ट्रीय खनिज विकास निगम बेलाडीला द्वारा कक्ष क्र0 667, 676 व 677 में शंकनी नाला पर पंप हाउस एवं पाइप लाइन निर्माण हेतु 4.68 है0 वनभूमि का पत्यावर्तन ।

महोदय,

मुझे नोडल अधिकारी छत्तीसगढ़ शासन के उक्त विषयक पत्रांक खनिज/78 दिनांक 17.1.2002 का संदर्भ ग्रहण करने का का निदेश हुआ है जिसके द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम , 1980 की धारा-2 के अन्तर्गत केन्द्र सरकार के अनुमोदन का अनुरोध किया गया था ।

राज्य सरकार के प्रस्ताव पर सावधानीपूर्वक विचार करने के पश्चात अधोहस्ताक्षरी द्वारा केन्द्र सरकार की ओर से दंतेवाड़ा जिले में राष्ट्रीय खनिज विकास निगम बेलाडीला द्वारा शंकनी नाला पर पंप हाउस एवं पाइप लाइन निर्माण हेतु कक्ष क्रमांक 667, 676, 677 में 4.68 है0 वन भूमि के प्रत्यावर्तन के प्रस्ताव पर एतदद्वारा निम्नलिखित शर्तों पर सिद्धान्तत: सहमति दी जाती है :-

1. वन भूमि का वैधानिक स्वरूप अपरिवर्तित रहेगा ।
2. वन विभाग द्वारा उपयोगकर्ता के खर्च पर दंतेवाड़ा जिले के कंपार्टमेंट नं0 पी-1052, परिक्षेत्र बचोली जिला दंतेवाड़ा की 9.36 है0 वन भूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण किया जायेगा।
3. उपयोगकर्ता वर्तमान मजदूरी दर से क्षतिपूरक वृक्षारोपण की लागत राशि वन - विभाग के पास पेशगी जमा करेंगे ताकि वृक्षारोपण किया जा सके ।
4. केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/ पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार के निर्देशों के अनुसार एन0एम0डी0सी0 को दूषित पानी को ट्रीटमेंट करने की व्यवस्था करनी होगी ।
5. कलेक्टर जिला दन्तेवाड़ा के पत्र दिनांक 13.10.99 में लगाई गई शर्तों का पालन करना होगा ।

..2

6. वनभूमि का उपयोग प्रस्तावित कार्य के अतिरिक्त अन्य किसी कार्य के लिए नहीं किया जायेगा ।

7. राज्य सरकार द्वारा लगाई अन्य कोई भी शर्त ।

राज्य सरकार द्वारा शर्त संख्या 3 की पूर्ति का अनुपालन प्रतिवेदन प्राप्त होने पर, इस प्रकरण का वन (संरक्षण )अधिनियम, 1980 की धारा -2 के अन्तर्गत औपचारिक अनुमोदन प्रदान किया जायेगा । यदि उक्त शर्त का पालन इस पत्र के निर्गत होने के 5 वर्ष के अन्दर नहीं किया जात तो यह अनुमोदन स्वत: निरस्त समझा जायेगा ।

जब तक यह कार्यालय औपचारिक अनुमोदन न कर दे, राज्य सरकार द्वारा उपयोगकर्ता को वन भूमि के वनेत्तर उपयोग का आदेश जारी न किया जाये ।

भवदीय,

(द्विजेन्द्र कुमार शर्मा)
उप वन संरक्षक(केन्द्रीय)

प्रतिलिपि :-

1. निदेशक (एफ.सी.), पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, पर्यावरण भवन, सी.जी.ओ. काम्पलेक्स, लोदी रोड, नई दिल्ली- 110 003.
2. मुख्य वन संरक्षक(भू-सर्वे) एवं नोडल अधिकारी, छत्तीसगढ़ शासन, वन विभाग, रायपुर को सूचनार्थ ।
3. वनमंडलाधिकारी, दंतेवाड़ा वनमण्डल, दंतेवाड़ा (छत्तीसगढ़) ।
4. महाप्रबंधक, नेशनल मिनरल्स, डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमि0 बैलाडीला, डिपोजिट नं0 10 एवं 11 ए, बचेली, जिला-दंतेवाड़ा ।
5. आदेश पत्रावली ।

Dc 14/3

(द्विजेन्द्र कुमार शर्मा)
उप वन संरक्षक (केन्द्रीय)

कार्यालय वन मण्डलाधिकारी
क्रमांक 2115
दिनांक 23/3/02
दंतेवाड़ा वन मण्डल

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA
पर्यावरण एवं वन मंत्रालय
MINISTRY OF ENVIRONMENT & FORESTS

क्षेत्रीय कार्यालय, पश्चिम क्षेत्र
Regional Office, Western Region
E-3/240, अरेरा कालोनी, Arera Colony
भोपाल, Bhopal-462016, (म.प्र.) M.P.
दूरभाष/ Phone: 466525, 465496, 465054
तार/Telegram : CENTFOREST
फैक्स/ Tele Fax : 0755-463102
E-mail : rccfwr@sancharnet.in

क्रमांक : 8बी/016/2002-एफसीडब्ल्यू/ 1309 दि : 7/6/02

प्रति,

प्रधान सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन,
वन विभाग,
डी0के0 भवन,
रायपुर ।

विषय: दन्तेवाड़ा जिले में राष्ट्रीय खनिज विकास निगम, बैलाडीला को कक्ष क्र0 667, 676, व 677 में शंकनी नाला पर पंप हाउस एवं पाइप लाइन निर्माण हेतु 4.68 है0 वनभूमि उपयोग पर देने बाबत् ।

संदर्भ: 1. इस कार्यालय का पत्रांक 8बी/016/2002-एफसीडब्ल्यू/678 दिनांक 14.3.2002.
2. कार्या0मु0व0सं0(भु-सर्वे)नोडल अधि0, रायपुर का पत्रांक भू.सर्वे/11/खनिज/25/30 दिनांक 7.5.2002

महोदय,

कृपया उक्त विषयक पत्रांक खनिज/78 दिनांक 17.1.2002 का संदर्भ ग्रहण करें जिसके द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा-2 के अन्तर्गत केन्द्र सरकार के अनुमोदन का अनुरोध किया गया था ।

केन्द्र सरकार द्वारा उक्त वन भूमि के उल्लिखित उद्देश्य हेतु प्रत्यावर्तन के लिए, इस कार्यालय के उपर्युक्त संदर्भित पत्र (1) द्वारा, उसमें लगायी गयी शर्तों के अधीन, सिद्धान्ततः सहमति दी गयी थी । संदर्भित पत्र (2) द्वारा राज्य सरकार ने उक्त शर्तों की पूर्ति का अनुपालन प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है ।

अतः दन्तेवाड़ा जिले में राष्ट्रीय खनिज विकास निगम द्वारा बैलाडीला कक्ष क्र0 667, 676, व 677 में शंकनी नाला पर पंप हाउस एवं पाइप लाइन निर्माण हेतु 4.68 है0वनभूमि के वनेत्तर उपयोग के लिये वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा-2 के अन्तर्गत अधोहस्ताक्षरी द्वारा निम्नलिखित शर्तों पर केन्द्र सरकार का औपचारिक अनुमोदन संप्रेषण किया जाता है :-

1. वन भूमि का वैधानिक स्वरूप अपरिवर्तित रहेगा ।

2. वन विभाग द्वारा उपयोगकर्ता के खर्च पर दंतेवाड़ा जिले के कंपार्टमेन्ट नं0 पी-1052, परिक्षेत्र बचेली, जिला दंतेवाड़ा की 9.36 है0 वनभूमि पर इस पत्र के निर्गत होने के दो वर्ष के अन्दर क्षतिपूरक वृक्षारोपण किया जायेगा ।

3. केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार के निर्देशों के अनुसार एन0एम0डी0सी0 को दूषित पानी का ट्रीटमेंट करने की व्यवस्था करनी होगी ।

4. कलेक्टर जिला दन्तेवाड़ा के पत्र दिनांक 13.10.99 में लगाई गई शर्तों का पालन करना होगा ।

5. वनभूमि का उपयोग प्रस्तावित कार्य को छोड़कर अन्य किसी कार्य के लिए नहीं किया जायेगा ।

6. राज्य सरकार द्वारा लगाई अन्य कोई भी शर्त ।

भवदीय,

(द्विजेन्द्र कुमार शर्मा)
उप वन संरक्षक (केन्द्रीय)

प्रतिलिपि :-

1. निदेशक (एफ.सी.),पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, पर्यावरण भवन, सी.जी.ओ. काम्पलेक्स, लोदी रोड, नई दिल्ली- 110 003.
2. मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) एवं नोडल अधिकारी, छत्तीसगढ़ शासन, वन विभाग, जेल रोड, रायपुर को सूचनार्थ ।
3. वनमंडलाधिकारी, दंतेवाड़ा वनमण्डल, दंतेवाड़ा (छत्तीसगढ़) ।
4. महाप्रबंधक, राष्ट्रीय खनिज विकास निगम, बेलाडीला, डिपोजिट नं0 10, एवं 11 ए0 किरंदुल, जिला -दन्तेवाड़ा । छत्तीसगढ़ ।
5. आदेश पत्रावली ।

कार्यालय वनमंडलाधिकारी, दन्तेवाड़ा वन मण्डल, दन्तेवाड़ा
क्रमांक 4650
दिनांक 13/6/02

Dc 7/6

(द्विजेन्द्र कुमार शर्मा)
उप वन संरक्षक(केन्द्रीय)

ECLEA/MINING/Z

1/1 2/6

# छत्तीसगढ़ शासन
# वन एवं संस्कृति विभाग
# मंत्रालय, रायपुर

क्रमांक /व.सं./2002 रायपुर, दिनांक / /2002

प्रति,

मुख्य वन संरक्षक, (भू–सर्वे)
नोडल अधिकारी, व. सं. अ. –1980
छत्तीसगढ़ रायपुर

विषय :– दंतेवाड़ा जिले में राष्ट्रीय खनिज विकास निगम बैलाडीला द्वारा कक्ष क्र. 667, 676, 677 में शंखनीनाला पर पम्प हाऊस एवं पाईप लाईन निर्माण हेतु 4.68 हे. वनभूमि उपयोग पर देने बाबत्।

संदर्भ :– भारत सरकार पर्या. एवं वन मंत्रालय भोपाल का पत्र क्र. 8 बी. 16/2002 एफ. सी. डब्ल्यू 1309 दिनांक 7/6/2002.

--0--

विषयांकित प्रकरण में वन संरक्षण अधिनियम –1980 के अंतर्गत भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय नई दिल्ली ने संदर्भित पत्र द्वारा अंतिम अनुमति जारी की है। इस अनुमति के आधार पर शासन द्वारा निम्न शर्तों के अधीन 4.68 हेक्टेयर वन भूमि के व्यपवर्तन की अनुमति दी जाती है :–

1. वन भूमि का वैधानिक स्वरूप अपरिवर्तित रहेगा।
2. वन विभाग द्वारा उपयोग कर्ता के खर्च पर दंतेवाड़ा जिले के कम्पार्टमेन्ट नं. पी– 1052, परिक्षेत्र बचेली, जिला दंतेवाड़ा की 9.36 हैक्टेयर वनभूमि पर इस पत्र के निर्गत होने के दो वर्ष के अंदर क्षतिपूरक वृक्षारोपण किया जावेगा।
3. केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार के निर्देशों के अनुसार एन. एम. डी. सी. को दूषित पानी का ट्रीटमेंट करने की व्यवस्था करनी होगी।
4. कलेक्टर जिला दंतेवाड़ा के पत्र दिनांक 13/10/99 में लगाई गई शर्तों का पालन करना होगा।
5. वन भूमि का उपयोग प्रस्तावित कार्य को छोड़कर अन्य किसी कार्य के लिए नहीं किया जायेगा।
6. आवेदक संस्थान से लिखित में वचन पत्र लिया जावे कि भविष्य में भारत सरकार/राज्य शासन द्वारा उपरोक्त शर्तो के अलावा जो भी शर्त अधिरोपित की जावेगी, आवेदक संस्थान उसे मान्य करने हेतु बाध्य होगा।
7. प्रत्याशा मूल्य की राशि जमा करने के उपरांत ही वन भूमि आवेदक संस्थान/आवेदक को उपलब्ध कराया जावे।

(जयसिंह म्हस्के)
उपसचिव
वन एवं संस्कृति विभाग

09/08/02 dantavada paip line nirman